

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Gurugram Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0045

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

29/12/2023 19:47 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/12/2023 Time (समय): 18:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 29/12/2023 18:35 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 115 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): जिला महेन्द्रगढ़,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ISHWER SINGH

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/04/1967 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416381286

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मुकेश कुमार गुप्ता त0 उप अधी0			1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग डिवीजन 3 अटेली MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA
2	गजराज सिंह त0 कनिष्ठ अभियंता			1. जन स्वास्थ्य विभाग अटेली, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA
3	सुरेन्द्र कुमार		Father's Name: किशोरी लाल	1. म0न0 142 मोहल्ला कैलाश नगर NNL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11.

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे , प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम । विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 11.04.2022 नारनौल, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 25/02/2022-4 चौ (1) दिनांक 05.04.2022, की अनुपालना मे आपके कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 5781/I-2/SVB (H) dated 11.04.2022 के अनुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर पडताल के लिये इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी ।

जांच मे आरोप वर्णित है कि शिकायतकर्ता नरेश ठेकेदार गांव सिहमा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ ने श्री मान मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार चण्डीगढ को प्रेषित शिकायत दिनांक 27.10.2021 मे मुकेश गुप्ता उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये । शिकायत मे लगाये गये आरोपो की जांच कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन न0 2, नारनौल द्वारा अमल मे लाई गई । जांच रिपोर्ट मे शिकायत के आरोप न0 3, 4 व 6 की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा से करवाई जाने बारे अंकित किया जिस पर हरियाणा सरकार ने सहमति देते हुये शिकायत मे वर्णित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने के आदेश पारित किये । शिकायत मे अंकित आरोप न0 3, 4 व 6 निम्नप्रकार से है:-

कार्यकारी अभियन्ता सुमित गर्ग के कार्यालय पत्र क्रमांक 4506 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार 42 स्वीकृति पत्र जारी किये गये है जिन पर फर्जी हस्ताक्षर किये गये है । स्वीकृति पत्र जारी करने के संबंध मे डिप्टी सुपरीडेंट की जिम्मेवारी होती है । डिप्टी सुपरीडेंट ने Ex.EN सुमित गर्ग के फर्जी साईन करके खुद का ई.एस.आई व ई.पी.एफ वगैरा निकलवाये थे जो कि गलत थे ।

मुकेश गुप्ता ने डी0एन0आई0टी0 व स्वीकृति पत्रो पर कार्यकारी अभियन्ता के स्वयं हस्ताक्षर करके डी0एन0आई0टी0 व स्वीकृति पत्र पास किये है । जिसके कुछ डिस्पेच नम्बर 10307 दिनांक 28.12.2020, 3481, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3480, 3479, 3478, 3476, 3475 दिनांक 06.06.2021 को पास किये गये है ।

मुकेश गुप्ता सुपरीडेंट के खिलाफ एक एफ.आई.आर न0 258 दिनांक 08.05.2019 दर्ज है जिसमे एक ठेकेदार इसकी वजह से आत्म हत्या कर गया था जिसमे इसके खिलाफ कोई कार्यवाही ना हुई ।

वर्ष 2019 में उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, अटेली द्वारा उपमण्डल के अन्तर्गत आने वाले गांवों सराय बहादुर नगर, सुरनी, छापडा, सलीमपुर, कटकई, ढाणी कटकई, गुजरवास, ढाणी गौड गुजरवास, ढाणी जगमाल सिंह, ढाणी उन्नीदा, ढाणी हरसुख, ढाणी शक्तिनगर, मौहम्मदपुर तिगरा, महासर, गढी रूथल, खारीया, खारियावास, सागरपुर सिहमा, बाछौद, मिर्जापुर आदि का वार्षिक मैनटेनेंस, वाटर सप्लाई की मोटरों व पाईपों के रिपेयर के कार्य करवाने थे । Engineer-in-Chief Haryana, Public Health Engineering Department, Panchkula के कार्यालय के पत्र क्रं0 4673-4828-PHED/MMS दिनांक 01.02.2011 के अनुसार सभी अधीक्षक अभियन्ता व सभी कार्यकारी अभियन्ताओं को 20,000/- रुपये तक की खरीद किये जाने तथा मैनटेनेंस कार्य के लिये दिये गये निर्देश अनुसार श्री कृष्ण कुमार तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग अटेली को उपरोक्त कार्यों के लिये 7 दिन का नोटिस देकर डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से सील बन्द कुटेशन कॉल करनी थी सीधे तौर पर किसी भी फर्म की कुटेशन नहीं ली जानी थी । जो भी सील बन्द कुटेशन प्राप्त हुई उनका कुटेशन रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना था । उपरोक्त पत्र के अनुसार यदि कई कार्य दो से तीन महीने के अन्तराल में एक ही सब-डिविजन में होते है तो डी0एन0आई0टी0 तैयार करके टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी चाहिये थी । जो उपरोक्त सभी कार्य केवल एक या दो महीने के अन्तराल पर होने पाये गये है लेकिन श्री गजराज सिंह कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय उप मण्डल अटेली द्वारा मै0 नीलम ट्रेडर्स के मालिक सुरेन्द्र सिंह से सीधे तौर पर उसकी फर्म की, फर्म मैसर्स गणपती इंटरप्राइजिज, रेवाडी रोड कैलाश नगर नारनौल व विजय कुमार, कॉन्ट्रैक्टर मोहल्ला मिश्रवाडा वार्ड नं0 21 नारनौल की कुटेशन लेनी पाई गई है । मै0 नीलम ट्रेडर्स के मालिक सुरेन्द्र सिंह ने भी अपने कथन में बतलाया है कि उसने अपनी कुटेशन के साथ एक कुटेशन अपने बेटे की फर्म गणपती इंटर

प्राइजिज तथा दुसरी कुटेशन विजय कॉन्ट्रैक्टर की कनिष्ठ अभियन्ता गजराज सिंह को पेश की थी । जिस पर श्री गजराज सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, अटेली ने उपरोक्त निदेशों की पालना न करके नीलम ट्रेडर्स के मालिक सुरेन्द्र सिंह से 15 कार्यों की कुटेशन सीधे तौर पर लेकर श्री कृष्ण कुमार, उप मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, अटेली को तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिये भेजी तथा श्री कृष्ण कुमार, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग अटेली द्वारा सीधे तौर पर ली गई कुल 15 कार्यों की कुटेशन की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिविजन नं० 3 अटेली को भेज दी जिनमें सबसे कम रेट Neelam Traders, Kailash Nagar, Rewari Road Narnaul के होने पर कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन नं० 3, अटेली के डिसपैच न० 6392 दिनांक 09.09.2019 कार्य वार्षिक मेन्टेनेंस गांव सराय बहादुर नगर, सुरानी, छापडा व सलीमपुर स्वीकृत राशि 11474 रुपये, डिसपैच न० 6393 दिनांक 09.09.2019 कार्य वार्षिक मेन्टेनेंस गांव बाछौद व मिरजापुर स्वीकृत राशि 11087 रुपये, डिसपैच न० 6394 दिनांक 09.09.2019 कार्य वाटर वर्क्स गांव सराय बहादुर नगर, सुरानी, छापडा व सलीमपुर स्वीकृत राशि 9900 रुपये, डिसपैच न० 6395 दिनांक 09.09.2019 कार्य वाटर वर्क्स गांव कटकई, ढाणी कटकई, गुर्जरवास, ढाणी गौड गुर्जरवास, ढाणी जगमाल सिंह, ढाणी उनिन्दा, ढाणी हरसुख, ढाणी शक्ति नगर व मौहम्मदपुर तिगरा, स्वीकृत राशि 9956 रुपये, डिसपैच न० 6396 दिनांक 09.09.2019 कार्य वाटर वर्क्स गांव मैहासर, गढी रूथल, खारीया व खारियावास, स्वीकृत राशि 10826 रुपये, डिसपैच न० 6397 दिनांक 09.09.2019 कार्य वाटर वर्क्स गांव सागर पुर सिहमा, स्वीकृत राशि 6170 रुपये, डिसपैच न० 6398 दिनांक 09.09.2019 कार्य वाटर वर्क्स गांव बाछौद व मिर्जापुर, स्वीकृत राशि 10384 रुपये, डिसपैच न० 6399 दिनांक 09.09.2019 कार्य वार्षिक मेन्टीनेंस गांव कटकई, ढाणी कटकई, गुर्जरवास, ढाणी गौड गुर्जरवास, ढाणी जगमाल सिंह, ढाणी उनिन्दा, ढाणी हरसुख, ढाणी शक्ति नगर व मौहम्मदपुर तिगरा, स्वीकृत राशि 15453 रुपये, डिसपैच न० 6400 दिनांक 09.09.2019 कार्य वार्षिक मेन्टीनेंस गांव महासर, गढी रूथल, खारिया व खारियावास, स्वीकृत राशि 15394 रुपये, डिसपैच न० 6401 दिनांक 09.09.2019 कार्य वार्षिक मेन्टीनेंस गांव बाछौद व मिर्जापुर, स्वीकृत राशि 12826 रुपये, डिसपैच न० 6402 दिनांक 09.09.2019 कार्य वार्षिक मेन्टीनेंस गांव सागरपुर व सिहमा, स्वीकृत राशि 6906 रुपये, डिसपैच न० 6403 दिनांक 09.09.2019 कार्य पी.वी.सी. पाईप वर्क्स गांव बाछौद व मिर्जापुर, स्वीकृत राशि 20000 रुपये, डिसपैच न० 6404 दिनांक 09.09.2019 कार्य सी.आई. पाईप वर्क्स गांव बाछौद व मिर्जापुर, स्वीकृत राशि 18690 रुपये, डिसपैच न० 6405 दिनांक 09.09.2019 कार्य पी.वी.सी. पाईप वर्क्स गांव सराय बहादुर नगर, सुरानी, छापडा व सलीमपुर, स्वीकृत राशि 5820 रुपये, डिसपैच न० 6421 दिनांक 11.09.2019 कार्य सी.आई. पाईप वर्क्स गांव कटकई, ढाणी कटकई, गुर्जरवास, ढाणी गौड गुर्जरवास, ढाणी जगमाल सिंह, ढाणी उनिन्दा, ढाणी हरसुख, ढाणी शक्ति नगर व मौहम्मदपुर तिगरा, स्वीकृत राशि 12533 रुपये, की स्वीकृति देनी पाई गई है । जो कुल 1,77,509 ₹ की स्वीकृतियां देनी पाई गई है ।

अतः कृष्ण कुमार, तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता व गजराज सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता ने सभी कार्य दो से तीन महीने के अन्तराल में एक ही सब-डिविजन के होते हुये डी०एन०आई०टी० तैयार करके टैण्डर नहीं निकालकर तथा सील बन्द कुटेशन प्राप्त न करके मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की उल्लंघना की है तथा सीधे तौर पर सुरेन्द्र सिंह, मै० नीलम ट्रेडर्स से कुटेशन लेकर उनकी तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करके उससे मिलीभगत करके अपने पद का दुरुपयोग किया तथा अपने चहेते ठेकेदार को कार्य आवंटित करवाने के लिये कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन नं० 03, अटेली को स्वीकृति के लिये भेज दी । श्री मनीराम, उप अधीक्षक, कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन नं० 3 अटेली ने बतलाया है कि श्री कृष्ण कुमार तत्कालीन उप मण्डल अभियन्ता का दिनांक 06.05.2021 को देहान्त हो चुका है ।

उपरोक्त वर्णित कार्यों की कुटेशन व तुलनात्मक रिपोर्ट उपमण्डल अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग अटेली द्वारा स्वीकृति के लिये कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिविजन नं० 03, अटेली में भेजी जानी पाई गई जिसके सम्बन्ध में श्री सुमित गर्ग, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग अटेली को जांच में शामिल करके कथन अंकित किये गये व फाईल में मौजूद कुल 15 कार्यों की स्वीकृति पत्रों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई । जिसने अपने कथन में बतलाया कि उसकी तैनाती की अवधि के दौरान जो मेन्टीनेंस (रख-रखाव) इत्यादि व वाटर सप्लाई के कार्यों से सम्बंधित सामान खरीद करने के लिये जो 15 कार्यों की स्वीकृतियां जिनकी कुल राशि 1,77,509 रुपये है उनके कार्यालय द्वारा दी गई थी उन पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

मुकेश कुमार गुप्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली में उप अधीक्षक के पद पर तैनात था तथा कार्यालय की सभी डाक उसके पास आती थी। जो 15 स्वीकृतियों पर श्री सुमित गर्ग, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली की मोहर के नीचे मुकेश कुमार गुप्ता के लघु हस्ताक्षर हैं। यहां पर मुकेश कुमार गुप्ता उप अधीक्षक कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन नं० 03, अटेली की यह जिम्मेवारी बनती थी कि वह कार्यकारी अभियन्ता से डाक पर हस्ताक्षर करवाये। जबकि श्री सुमित गर्ग तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता ने अपने कथन में उपरोक्त स्वीकृतियों पर अपने हस्ताक्षर होने से मना किया है। शिकायतकर्ता ने भी मुकेश कुमार गुप्ता उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली द्वारा उपरोक्त 15 स्वीकृति पत्रों पर श्री सुमित गर्ग तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के फर्जी हस्ताक्षर होने ब्यान किये हैं।

मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली ने अपने पद का दुरुपयोग करके उपरोक्त 15 स्वीकृतियों पर श्री सुमित गर्ग कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के फर्जी हस्ताक्षर करके स्वीकृति देनी पाई गई है। जो मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली, गजराज सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, अटेली तथा नीलम ट्रेडर्स के मालिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल निवासी म०न० 142 मौहल्ला कैलाश नगर नारनौल के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471, 120 बी भा०द०स० व 13 पी०सी० एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया है। उपरोक्त आरोपियों द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध धारा 419,420,467,468,471, 120 बी भा०द०स० व 13 पी०सी० एक्ट का करना पाया गया है आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal Nature का है। जिसके लिये मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1 VII दिनांक 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की आवश्यकता नहीं है। अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति, अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3397/ACB/GGM दिनांक 07.08.2023 के अनुसार तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी। महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 13529/आई०-2/भ०नि०ब्यू०(ह०) दिनांक 10.08.2023 के अनुसार अभियोग दर्ज करने बारे अलग - अलग तहरीर तैयार करके भेजने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली, गजराज सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, अटेली तथा नीलम ट्रेडर्स के मालिक सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल निवासी म०न० 142 मौहल्ला कैलाश नगर नारनौल के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471, 120 बी भा०द०स० व 13 पी०सी० एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके अनुमोदन के लिये पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के पत्र क्र० 3786/ए०सी०बी०/गुरुग्राम दिनांक 28.08.2023 के अनुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई। मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्र० 14604/I-2/ACB (H) दिनांक 31.08.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मार्क की है। आज मैं हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम हूँ कि उपरोक्त आरोपियान के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख तैयार करके मु० सि० उदयवीर न० 805/पलवल के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सुचित किया जाये। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवाई जाये। निरीक्षक ईशवर सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप-केन्द्र नारनौल। दिनांक 29/12/2023 AT.- 6.15 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई। जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि० ईशवर सिंह के पास भेजी जा रही है। आरिन्दा मु० सि० उदयवीर न० 805/पलवल के हवाले की गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ISHWER Rank (पद): I (Inspector) SINGH

No. (सं.): 264NNL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1971				Is pox pitted: Yes
2	Male	01/01/1963				Is pox pitted: Yes
3	Male	01/01/1982				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)